(c) whether Government propose to enquire as to why did the train Superintendent of Tamil Nadu Express not accept the complaint of the concerned passenger regarding the loss of luggages and valuables;

(d) whether Government propose to initiate disciplinary proceedings against the concerned railway protection force staff or not registering the FIR from the passenger; and

(e) what steps are being taken now by Railway protection Force to register the case and also recover the lost luggages?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) Section-wise data on thefts in trains is not compiled by the Central Government.

(b) Yes. Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e) RPF does not have any legal power to register an FIR; so, the question of discipinary action against the RPF staff for not registering a case does not arise.

The Government Railway Police, which functions under the State Government, is legally authorised to register, investigate and prosecute cases of thefts of belongings and valuables of passengers. In this case also appropriate further action will have to be taken by the GRP concerned.

दिल्ली में अपहरण की घटनायें

1801. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992–93 के दौरान दिल्ली में अपहरण की कुल कितनी घटनायें हुईं ;

(ख) इनमें से कितनी कितनी घटनायें (i) व्यक्तिगत दुश्मनी, (ii) आतंकवादियों द्वारा फिरौती मांगने, (iii) प्रेमी-प्रेमिकाओं के भागने के कारण हुईं ;

(ग) क्या दिल्ली के अस्पतालों से 1 अप्रैल, 1992 से 30 अप्रैल, 1993 की अवधि के दौरान घटित नवजात शिशुओं के अपहरण की घटनाओं की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान अस्पतालवार कुल कितनी कितनी घटनायें सरकार के ध्यान में आईं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) संबंधित सूचना निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	सूचित किए मामले	व्यक्तिगत दुश्मनी	आतंकवादियों द्वारा मांगी फिरौती	प्रेमी-प्रेमिका का एक साथ भाग जाना	अन्य मामले
1992	723	13	—	279	431
1993 (15–4–93 तक)	199	1	—	93	105

(ग) जी हां, श्रीमान। 1–4–92 से 30–4–93 तक की अवधि के दौरान इस प्रकार के 2 मामले सूचित किए गए।

(घ) एक मामला सफदरजंग अस्पताल और दूसरा मामला जय प्रकाश नारायण अस्पताल से सूचित किया गया । भा.द.सं. की धारा 363 के अन्तर्गत दो मामले एक थाना विनय नगर में और दूसरा थाना आई.पी. इस्टेट में दर्ज किया गया । इन मामलों में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई ।